न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

73/2017

सीएमएस : 2017/00392

1. गुडडी पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 14 एनपी हाल वार्ड नं. 6 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थीया

बनाम

1. सतवन्त सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 14 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. श्री अजय कुमार तनेजा, वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 14 एनपी तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 44 मु.नं. 34, 40 की कुल 3.581है. खातेदारी भूमि में 1.194है. हक एवं हिस्सा की खातेदारी भूमि है व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से हैं। प्रार्थी औरतजात होने व विकलांग होने के कारण अपना उपरोक्त रकबा स्वयं काश्त नहीं कर पा रही थी इसलिए प्रार्थीया द्वारा कुछ समय से अपना रकवा अप्रार्थी को कभी हिस्सा पर तो कभी ठेका पर देकर काश्त करवाया जाता रहा हैं। प्रार्थीया द्वारा समय समय पर अप्रार्थी से अपने हिस्सा की राशि व ठेका की राशि प्राप्त की जाती रही हैं। चूंकि अप्रार्थी प्रार्थीया का ही भाई था इसलिए दानों में आपसी मेल जोल भी अच्छा चला आ रहा था व प्रार्थीया अप्रार्थी पर सदृभाविक तौर पर विश्वास कर अपना रकबा अपनी सुविधा अनुसार कभी हिस्सा पर तो कभी ठेका पर देकर काश्त करवाती रही हैं। वर्ष 2017–2018 में प्रार्थीया को अप्रार्थी द्वारा गांव में चलत ठेका अनुसार ठेका राशि से कम ठेका राशि देनी चाही तो प्रार्थीया ने गांव में प्रचलन अनुसार ठेका पर भूमि काश्त हेतु देने का कहा तो अप्रार्थी पहले तो कहता रहा कि अभी ठेके पर भूमि चढनी शुरू हुई है व गांव की पूरी भूमि ठेका पर नहीं चढी है जैसे ही और भूमि का ठेका पर चढेगी अप्रार्थी उस अनुसार भूमि का ठेका मुझे अदा कर देगा वं आपस में बैठकर ठेका राशि तय कर लेंगे जिस पर प्रार्थीया अप्रार्थी के आश्वासन पर सद्भाविक विश्वास करती रही चूंकि अप्रार्थी पूर्व में मुझ प्रार्थीया को लगातार ठेका/हिस्सा राशि का भुगतान करता आ रहा था व प्रार्थीया का अप्रार्थी पर विश्वास बना हुआ था लेकिन बैसाखी 2017 चले जाने के बाद अप्रार्थी द्वारा मुझ प्रार्थीया की भूमि का कोई ठेका राशि तय नहीं की जिस बाबत मुझ प्रार्थीया ने अप्रार्थी को लगातार ठेका राशि का तय करने के लिए कहा जाता रहा लेकिन अप्रार्थी हमेशा ही कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा लेकिन बार बार अप्रार्थी द्वारा बहाना बाजी कर टालमटोल किये जाने पर प्रार्थीया को अप्रार्थी की नियत पर संदेह हुआ व अप्रार्थी द्वारा बिना ठेका राशि का भुगतान किये मेरे रकबा को बिना प्रार्थीया की सहमति के काश्त करना शुरू कर दिया तो प्रार्थीया ने अप्रार्थना की बदयान्ती को देखते [illegible] जाति बिरादी के लोगों की दिनांक 15.06.2017 को 14 एनपी में पंचायत इकट्ठी की [illegible] प्रार्थीया के हक एवं हिस्सा की भूमि का कब्जा वापिस सुपुर्द किये जाने का कहा तो अप्रार्थी इन्कार [illegible] तथा कहने लगा कि आपको न तो कोई ठेका दूंगा तथा ना ही हिस्सा राशि दूंगा और [illegible] घूसी तो मार दूंगा व रकबा किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन व बैय आदि करने की भी धमकी दी। बस यही तारीख बिनए दावा एवं मुखास्मत दावा है। प्रार्थीया 14 एनपी का खाता सं. 44 मु.नं. 34–40 की 1.194है. भूमि की खातेदार टिनेन्ट हूं तथा उक्त भूमि को उपयोग उपभोग करने के अधिकार वादीया को प्राप्त है। अप्रार्थी प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि पर बिना किसी हक एवं अधिकार के नाजायज रूप से काबिज़ है, अप्रार्थी को उपयोग उपभोग के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी को प्रार्थीया के हक एवं हिस्सा की भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने की डिक्री पारित की जानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:58:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

न्यायोचित हैं। अतः प्रार्थीया को अप्रार्थी से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि चक 14 एनपी का खातां सं. 44 मु.नं. 34–40 की 1.194है. नहरी मय गै.मु.रास्ता की भूमि का वाद के लम्बन तक 10,000/– रू प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से मीन्स आफ प्रोफिट राशि दिलवाई जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 23.02.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हैं, जिस पर अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी काबिज हैं। अतः प्रार्थीया को अप्रार्थी से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि पर मीन्स आफ प्रोफिट रू 10,000/– प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से अप्रार्थी से दिलाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थीया पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा काश्त नहीं होने का कथन किया है, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादवर्णित भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 सहखातेदार हैं। जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होता, प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के हर एक इंच पर कब्जा एवं समान अधिकार हैं। प्रार्थीया ने ऐसा कोई रिपोर्ट अथवा दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि अप्रार्थी सं. 1 ने उसके तथाकथित हिस्से पर अतिक्रमण किया हो। फलस्वरूप प्रार्थीया प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रही हैं। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 11:38:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner